न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 27 / 2020

अनवान :–

1. कमलादेवी पत्नी रामस्वरूप जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. लिछमणपुरी पुत्र गंगापुरी जाति गोसाई (गुसाई) निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 09/07/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 आरडब्लयूडी के खाता संख्या 6/4 के प0न0 226/390(16) किला न0 17/0.2530 ,24/0.2530 ,प0न0 226/391(19) किला न0 3/0.2530 ,4/0.2530 ,7/2 की 0.240 ,8/2 की 0.240 ,14/1 की 0.0410हैक कुल 1.5330हैक भूमि सायला बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मोजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 42/37 के प0न0 225/391(18) किला न0 6/2 की 0.1640 ,6/3 की 0.0260, 7 ता 9 ,12 ता 14 प्रत्येक 0.2530 , 15/2 की 0.1650 ,15/3 की 0.0250गै0मु0खाला , 16/1 की 0.1640 ,16/3 की 0. 0260हैक गै0मु0 खाला , 17 ता 19 प्रत्येक 0.2530 ,प0न0 226/391(19) किला न0 9/0. 2530 ,10/2 की 0.1900 ,11/1 की 0.1900हैक कुल 3.4800हैक भूमि गैरसायल न0 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायला अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गैरसायल न0 1 के खेत के प0न0 226/391(19) के किला न0 9 ,10/2 में से उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व चलकर अपने खेत में पहुच जाती है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है।

सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है तथा वर्तमान में उक्त रास्ता से आवागमन हो रहा है किन्त उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुद्वा नही है जिससे सायला के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है सायला उक्त रास्ता स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है ।

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकार करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के प0न0 226/391(19) के किला न0 9 ,10/2 में से उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है शामिल मिसल की जाकर बहस सुनी गई ।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल न0 6 की और पेरोकार राज उपस्थित आकर निवेदन किया की सायला एवं गैरसायल एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायला को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुचान के लिये स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है सायला गैरसायल के प0न0 226/391(19) के किला न0 9 ,10/2 में से उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करती है यही सबसे सुविधाजनक रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त रास्ता स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की पक्षकारों की आपसी सहमति से रास्ता स्वीकार किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है।

सायला अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकार करवाना चाहती है तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई भी स्वीकृतशुद्वा रास्ता नही है सायला के द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है एवं सायला के द्वारा चाहा गया रास्ता सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये दिया जाना उचित है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायला की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतित होता है ।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायला के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के प0न0 226/391(19) के किला न0 9 ,10/2 में से उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायला रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि गैरसायल न0 1 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए प0न0 226/391(19) के किला न0 8/2 की उतरी पश्चिम दिशा में 10 गुणा 10 फुट भूमि को छोडकर मिन पश्चिम में 0.026हैक भूमि देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 / दिनांक 09/07/2021

तहसीलदार,
नोहर

विषय :— स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना—पत्र सं0 27 सन 2020 निर्णय दिनांक 9/7/21

अनवान :—

अनवान :—

1. कमलादेवी पत्नी रामस्वरूप जाति स्वामी निवासी गोकुलपुरा तहसील नोहर।

—प्रार्थी

बनाम्

1 लिछमणपुरी पुत्र गंगापुरी जाति गोसाई (गुसाई) निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

—अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 15 आरडब्ल्यूडी के प0न0 226 / 391(19) के किला न0 9 ,10 / 2 में से उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा सायला रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि गैरसायल न0 1 को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए प0न0 226 / 391(19) के किला न0 8 / 2 की उतरी पश्चिम दिशा में 10 गुणा 10 फुट भूमि को छोडकर मिन पश्चिम में 0.026हैक भूमि देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर